मध्य प्रदेश शासन

पुलिस विभाग

जिला–इन्दौर(म0प्र0)

सूचना पुस्तिका

(सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत)

जिला पुलिस कार्यालय
(कार्यालय पुलिस अधीक्षक)
जिला–इन्दौर,मध्य प्रदेश

अध्याय 1

प्रस्तावना

पुस्तिका की पृष्ठभूमि :–

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत सरकार विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा प्रकाशित असाधारण गजट दिनांक 21 जून, 2005 द्वारा प्रकाशित होकर दिनांक 13.8.2005 से अन्य प्रांतों सहित मध्य प्रदेश राज्य में भी लागू हैं । इस पुस्तिका का उद्देश्य अधिनियम में प्रस्तावित उपबंधों में निहित प्रावधानों के अनुसार पुलिस विभाग की जिला स्तरीय इकाई एवं शाखाओं प्रशाखाओं से संबंधित परिचयात्मक प्रारम्भिक जानकारी उपलब्ध कराना है एवं सूचना के अधिकार के तहत् जनसाधारण व्दारा जिला स्तर पर पुलिस विभाग से संबंधित सूचना प्राप्त किये जाने संबंधी मार्गदर्शक जानकारी प्रदान करना है।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय भोपाल व्दारा विभाग की बेबसाइट पर पुलिस विभाग संबंधी विस्तृत जानकारी सूचना पुस्तिका के माध्यम से पूर्व में जारी की जा चुकी है एवं आवश्यक जानकारी प्राप्ति हेतु मध्य प्रदेश पुलिस की बेबसाइट ीजजचरूध्ध्ण्उचचवसपबमण्हवअण्पद पर जनसाधारण व्दारा इसका अवलोकन किया जा सकता है। स्थानीय जिला स्तर पर भी इन्दौर पुलिस की बेबसाइट ीजजचरूध्ध्ण्पदकवतमचवसपबमण्वतह पर जनसाधारण व्दारा इसका अवलोकन किया जा सकता है एवं प्रथक से इस सूचना पुस्तिका के माध्यम से आवश्यक जानकारी मुद्रित स्वरूप में प्रकाशित/प्रसारित एवं अवलोकनार्थ एतद् व्दारा उपलब्ध कराई जा रही है।

पुस्तिका का उद्देश्य :–

इस पुस्तिका के माध्यम से यह प्रसारित, प्रचारित किया जाना है कि सूचना का अधिकार एवं इस अधिनियम के अंतर्गत मांगी जाने वाली सूचना जन साधारण की जानकारी के लिये नियमानुसार प्रदाय करने हेतु संबंधित इकाई व्दारा उपलब्ध हो सकती है।

यह पुस्तिका किन व्यक्तियों/संस्थानों/संगठनों आदि के लिये उपयोगी है :–

यह पुस्तिका पुलिस विभाग की सभी इकाईयों एवं शाखाओं तथा जन साधारण के लिये बहुत उपयोगी है क्योंकि इसमें पुलिस विभाग जिला इन्दौर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी का समावेश है और समय–समय पर इसमें आवश्यक एवं उपयोगी जानकारी जोड़ी जावेगी।

पुस्तिका का प्रारूप :–

पुस्तिका मूल रूप से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सूचना के अधिकार की धारा 3,4(1–बी), (1–17), धारा–5(2)ए धारा–24, धारा–27, धारा–28 के प्रावधानों के अनुरूप है एवं अधिनियम में बताई गई अन्य धाराओं के प्रावधानों के प्रकाश में जानकारी इसमें उपलब्ध कराई गई है।

परिभाषायें :– (पुस्तिका में प्रयुक्त शब्दावली की परिभाषायें)

सूचना का अधिकार अधिनिमय 2005 में परिभाषित शब्द ही इस पुस्तिका में उपयोग किया गया है एवं भारत सरकार के '' कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय व्दारा दिनांक 16–9–2005 को जारी की गयी अधिसूचना के अनुसार एवं वर्तमान में प्रचलित विभागीय शब्दावली का उपयोग किया गया है।

6. **पुस्तिका में समायोजित विषयों के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं जानकारियों के लिये सम्पर्क व्यक्ति :–**

स. कं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	संगठन की विशिष्टियॉ,कृत्य एवं कर्तव्य	07–12
2	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य	13–14
3	कर्त्तव्यों के निर्वाहन हेतु नियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	15–16
4	नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन–प्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनायी गई व्यवस्था का विवरण	17–18
5	लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गो के अनुसार विवरण	19
6	बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण	20
7	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियॉ	21–25
8	निर्णय लेने की प्रकिया	26
9	अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	27
10	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति	28
11	प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट	29
12	अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के कियान्वयन की रीति	30
13	रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्रधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण	31
14	कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/ नियम	32
15	इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनायें	33
16	सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण	34
17	अन्य उपयोगी जानकारियॉ	35

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य जानकारी के लिये विभाग में नियुक्त लोक सूचना अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

7. **पुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि एवं शुल्क**

आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में लोक सूचना/ सहायक सूचना अधिकारी को निर्धारित शुल्क (10 रूपये नकद के रूप में या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक के रूप में देय होगा,जो लोक सूचना अधिकारी को सम्बोधित किया जाये) जमा करने पर सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के दस्तावेज/ इलेक्ट्रानिक माध्यम की प्रति प्रदाय की जावेगी : –

अधिनियम की धारा 7 की उप धारा (1) के अधीन किसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए फीस, निम्नलिखित दर पर, जो समुचित रसीद के विरूद्ध नकद के रूप में या मांग देय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में होगी जो लोक प्राधिकारी के किसी लेखा अधिकारी को संदेय होगा, प्रभारित की जायेगी :–

(क) तैयार किए गए या प्रतिलिपि किए गए प्रत्येक (ए–4 या ए–3 आकार) कागज के लिए दो रूपये :

(ख) बड़े आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत कीमत :

(ग) नमूनों या माडलों के लिए वास्तविक लागत या कीमत : और

(घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले घंटे के लिए कोई फीस नही, और उसके पश्चात् प्रत्येक पन्द्रह मिनट (या उसके भाग) के लिए पॉच रूपये की फीस।

धारा 7 की उप धारा (5) के अधीन किसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए फीस, निम्नलिखित दर पर, जो समुचित रसीद के विरूद्ध नकद के रूप में या मांग देय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में होगी जो लोक प्राधिकारी के किसी लेखा अधिकारी को संदेय होगा, प्रभारित की जाएगी :–

(क) डिस्केट या फ्लापी में सूचना उपलब्ध कराने के लिए, प्रति डिस्केट या फ्लॉपी, पचास रूपये : और

(ख) मुद्रित प्रारूप में दी गई सूचना के लिए, ऐसे प्रकाशन के लिए नियत कीमत पर या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटो प्रति के प्रति पृष्ठ के लिए दो रूपये।

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी
पुलिस विभाग
थाना/अनुभागीय अधिकारी पुलिस/
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
जिला – – – – –– – –

विषय :– सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत आपकी इकाई/विभाग से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि मुझे निम्नलिखित जानकारी की . . . . . कारण से आवश्यकता है। मेरे द्वारा आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क रू.10/– नकद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक द्वारा जमा करा दिया है/ रसीद संलग्न है (जिस माध्यम से शुल्क जमा किया जा रहा है, उस पर निशान लगावें)।

2/ मैं वांछित जानकारी से संबंधित अभिलेखों का अवलोकन भी करना चाहता हूँ जिसके लिये निर्धारित शुल्क देने को तैयार हूँ (पहले घंटे के लिए कोई फीस नही, और उसके पश्चात् प्रत्येक पन्द्रह मिनट (या उसके भाग) के लिए पॉच रूपये की फीस जमा करावें)।

(क) डिस्केट या फ्लापी में सूचना उपलब्ध कराने के लिए, प्रति डिस्केट या फ्लॉपी, पचास रूपये : और

(ख) मुद्रित प्रारूप में दी गई सूचना के लिए, ऐसे प्रकाशन के लिए नियत कीमत पर या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटो प्रति के प्रति पृष्ठ के लिए दो रूपये।

3/ मुझे . . . . जानकारी उपलब्ध कराई जावें जिसके लिये मैंने उपरोक्तानुसार शुल्क का भुगतान कर दिया है। कृपया मुझे जानकारी शीघ्र प्रदान की जावे।

(जो लागू नही है उसे काट देवें)

तारीख . . . . . .

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम आवेदक . . . . .
पूर्ण पता . . . . . .
दूरभाष नं. इत्यादि

आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराने की चरणबद्ध समय–सीमा

1.	आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त होने की दिनांक से संबंधित शाखा प्रभारी के पास भेजने का समय	5 दिन
2.	शाखा प्रभारी से जानकारी मंगवाने की समय–सीमा	7 दिन
3.	जानकारी का परीक्षण	5 दिन
4.	भेजी जाने वाली जानकारी का लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुमोदन	3 दिन
5.	आवेदक को जानकारी भेजने की समय–सीमा	28 दिन

नोट – अधिनियम में आवेदन प्राप्त होने की तारीख से जानकारी उपलब्ध कराने की अधिकतम समय–सीमा 30 दिवस निर्धारित की गई है। अतः 25 दिवस के भीतर जानकारी भेजा जाना उचित है।

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

1. लोक प्राधिकरण (पुलिस विभाग) के उद्देश्य :

1. कानून व्यवस्था बनाये रखना।
2. व्यक्तियों एवं संपत्तियों की सुरक्षा ।
3. केन्द्र एवं राज्य के संस्थानों की सुरक्षा।
4. लोक शांति बनाये रखना।
5. विभिन्न प्रकार के अनुज्ञा पत्र प्रदाय करने की अनुशंसा करना।
6. अन्य विभागों से आवश्यकता अनुसार समन्वय करना।
7. आपदाओं का प्रबंधन करना।
8. आपराधिक अन्वेषण करना।
9. आसूचना संग्रहण करना।
10. विशिष्ठ व्यक्तियों की सुरक्षा करना।
11. अपराधों की रोकथाम करना एवं जनसामान्य में शांति एवं सुरक्षा की भावना बनाये रखने संबंधी आवश्यक कार्यवाही करना।

2. लोक प्राधिकरण (पुलिस विभाग) का मिशन/ विजन :

राज्य के समग्र विकास, शांति एवं सामाजिक ढांचा बनाये रखते हुये प्रत्येक नागरिक की जान–माल की सुरक्षा। विभाग के विजन इस प्रकार है :–

- मानव अधिकारों का संरक्षण।
- कानून का परिपालन।
- जरूरत मंद को सहायता के लिये हमेशा तत्पर।
- जनता का सहयोग प्राप्त करने को आतुर।
- समाज के कमजोर वर्गो, महिलाओं एवं अन्य पीड़ित लोगों की हमेशा सहायता को तत्पर।
- राज्य में शांति एवं सांप्रदायिक सद्भवना सुनिश्चित करने के लिये सदैव सर्तक।

3. लोक प्राधिकरण (पुलिस विभाग) का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग :

मध्य प्रदेश राज्य का पुर्नगठन 1 नवम्बर 1956 को हुआ इसलिये मध्य प्रदेश पुलिस का स्थापना वर्ष भी तदनुसार 1956 से ही प्रचलित है। तत्पश्चात् छत्तीसगढ के रूप में राज्य के एक पूववर्ती भाग के प्रथक हो जाने के पश्चात् वर्तमान में शेष बचे मध्य प्रदेश राज्य का ही एक जिला इन्दौर जो पूर्ववत् मध्य प्रदेश पुलिस के अधीन है। जिला इन्दौर प्रदेश के मध्य भाग में भौगौलिक रूप से स्थित है। जिले की भौगोलिक पृष्ठभूमि को देखते हुए यह जिला प्रदेश के मध्य में स्थित होकर अन्य जिलो की सीमाओं से लगा होकर व्यवसायिक एवं अन्य औघोगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला है ।

4. लोक प्राधिकरण (पुलिस विभाग) के कर्तव्य :

1. सार्वजनिक व्यवस्था एवं लोक शांति बनाये रखना।
2. आंतरिक सुरक्षा कायम रखना।
3. शस्त्रागार एवं शस्त्रों का अनुरक्षण।
4. अपराधों की रोकथाम करना।
5. अपराधों का अन्वेषण करना।
6. निगरानी एवं रक्षा करना।
7. शांति भंग की रोकथाम करना।
8. यातायात का नियंत्रण करना।
9. शासन के अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करना।
10. सम्मन्स एवं वारंटों की तामीली करना।
11. लोक संपत्ति की सुरक्षा करना।
12. सामाजिक बुराईयों, अवैध शराब, जुऑ–सट्टा इत्यादि की रोकथाम करना।
13. आसूचना संकलन करना।
14. सैनिक शिक्षा नगर सेना, आर्थिक अपराधों की रोकथाम, राजनैतिक अपराधों की रोकथाम करना।
15. भारत की प्रतिरक्षा या सुरक्षा संबंधी निवारक उपाय करना।
16. सिविल प्रतिरक्षा करना।
17. ऐसी सेवाओं से संबंध सभी विषय, जिनका पुलिस विभाग से संबंध है।
18. सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से जन सामान्य को पुलिस के निकट लाना ।
19. रोगी,दीनहीन व्यक्ति एवं यात्रियों को सहायता करना।
20. महामारियों के समय चिकित्सकों के संपर्क में रहना एवं सहायता करना।
21. अग्नि दुर्घटनाओं में अग्नि शमन कार्य में आवश्यक सक्रिय सहयोग करना व बचाव कार्य करना।
22. प्राकृतिक प्रकोप के दौरान आम जनता की सहायता करना।

विभाग से संबंधित नियम/अधिनियम :–

1. पुलिस अधिनियम–1861
2. मध्य प्रदेश पुलिस मैन्युअल एवं रेग्युलेशन
3. मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल – 1968 एवं 1973
4. पुलिस विभाग से संबंधित जी.ओ.पी. ।
5. मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये परिपत्र
6. पुलिस महानिदेशक,मध्य प्रदेश द्वारा समय–समय पर जारी किये गये परिपत्र

5. **लोक प्राधिकरण (पुलिस विभाग) के मृख्य कृत्य**

जनता की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था कायम रखना।

6. **लोक प्राधिकरण (पुलिस विभाग) द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण** :–

जिला पुलिस विभाग की विभिन्न इकाइयों शाखाओं संबंधी विस्तृत जानकारी बिन्दु कमांक 7 में उल्लेखित की जा रही है।

7. **जिला पुलिस का संगठनात्मक ढांचा** :–

organisation structure of def indore

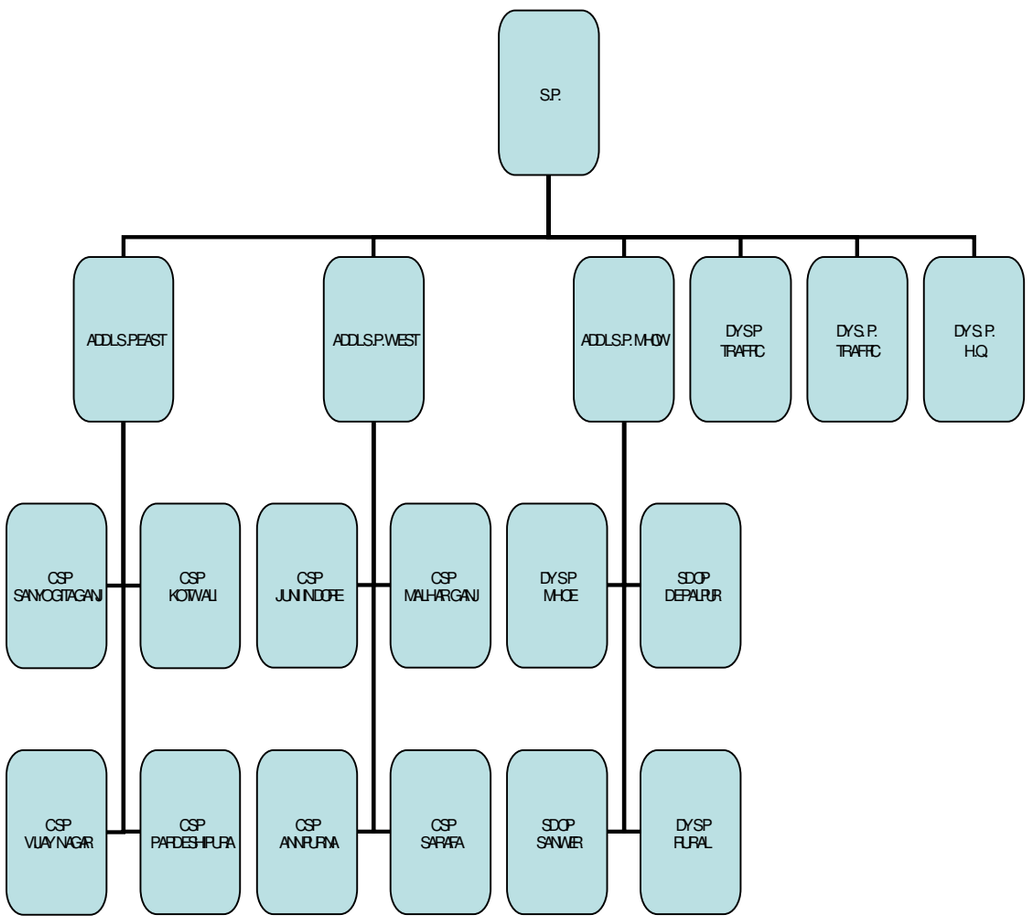

FROM CSP LEVEL

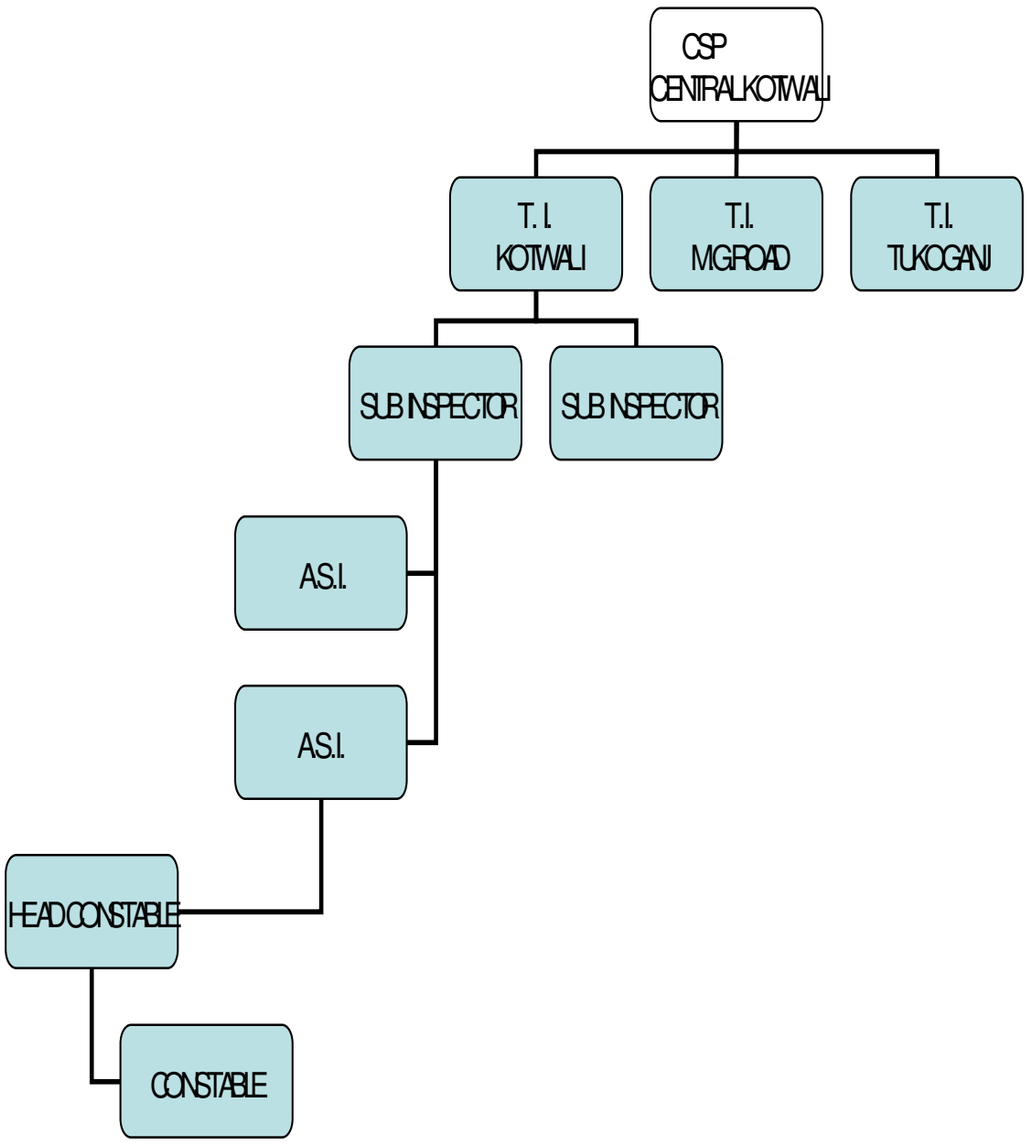

उपर्युक्तानुसार प्रत्येक नगर पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकार स्तर पर फील्ड में अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है ।

स.क्र	क्षेत्र	अनुभाग	अधीनस्थ थाना क्षेत्र
1.	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्व क्षेत्र	सेन्ट्रल कोतवाली	1. सेन्ट्रल कोतवाली
			2. तुकोगंज
			3. एम.जी. रोड
			4. महिला थाना
2.		संयोगितागंज	1. संयोगितागंज
			2. छोटी ग्वालटोली
			3. पलासिया
3.		विजय नगर	1. एम.आय.जी.
			2. लसूडिया
			3. खजराना
4.		परदेशीपुरा	1. परदेशीपुरा
			2. बाणगंगा
			3. हीरा नगर
5.		यातायात पूर्वी क्षेत्र	1. यातायात थाना पूर्व
6.	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम क्षेत्र	सराफा	1. सराफा
			2. छत्रीपुरा
			3. पंढरीनाथ
7.		मल्हारगंज	1. मल्हारगंज
			2. सदर बाजार
			3. ऐरोड्रम
8.		अन्नपूर्णा	1. अन्नपूर्णा
			2. राजेन्द्र नगर
			3. चन्दन नगर
9.		जूनी इन्दौर	1. जूनी इन्दौर
			2. रावजी बाजार
			3. भंवरकुआ
10		यातायात पश्चिम क्षेत्र	यातायात थाना पश्चिम क्षेत्र
11.	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महूं	पुलिस उप अधीक्षक महूं	1. महूं
			2. मानपुर
			3. किशनगंज
			4. बडगौंदा
12.		अनुविभागीय अधिकारी पुलिस देपालपुर	1. देपालपुर
			2. हातोद
			3. गौतमपुरा
			4. बेटमा
13.		अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सांवेर	1. सांवेर
			2. क्षिप्रा
14.		पुलिस उप अधीक्षक मुख्यालय इन्दौर	1. खुडैल
			2. सिमरोल

कार्यालयीन कार्य सम्पादन हेतु पदस्थ कार्यपालिक बल ''एम'' अधिकारीगण

स.क्र.	नाम शाखा	नाम प्रभारी अधिकारी	पद नाम
1	मुख्य लिपिक	श्री एम.ए. खॉन	सूबेदार (अ)
2	निज सहायक टू पुलिस अधीक्षक	श्री सुनिल कुमार जैन	सूबेदार (अ)
3	शीघ्र लेखक टू अपुअ पूर्व इन्दौर	श्री आलोक तिवारी	सूबेदार (अ)
4	शीघ्र लेखक टू अपुअ पश्चिम	श्री जे.एस. चौहान	सूबेदार (अ)
5	वेतन शाखा आंकिक	श्री खेम सिंह	सूबेदार (अ)
6	प्रभारी वेतन प्रथम	श्री रामलाल मोहबिया	उनि (अ)
7	–''–	श्री रामचन्द्र परमार	उनि (अ)
8	–''–	श्रीमती मुन्नीदेवी शर्मा	सउनि (अ)
9	–''–	श्री रोहित दुबे	सउनि (अ)
10	मेडिकल/रिवार्ड शाखा	श्री आर.के.वर्मा	उनि (अ)
11	प्रभारी वेतन द्वितीय	श्री अजय टण्डन	सउनि (अ)
12	–''–	श्री विनोद पांचाल	सउनि (अ)
13	कान्टीजेन्सी शाखा	श्री शकील अहमद खॉन	सूबेदार (अ)
14	–''–	श्री निर्मल जायसवाल	सउनि (अ)
15	–''–	श्री योगेश वर्मा	सउनि (अ)
16	यात्रा भत्ता शाखा	श्री रमेशचन्द्र रघुवंशी	सूबेदार (अ)
17	–''–	श्री प्रदीप शर्मा	उनि (अ)
18	–''–	श्रीमती भागवन्ती सिकरवार	सउनि (अ)
19	ओ.एम. शाखा	श्री शंकरराव दुडे	उनि (अ)
20	जीपीएफ शाखा	श्री कमल सिंह चौहान	उनि (अ)
21	–''–	श्रीमति विजया बैस	सउनि (अ)
22	–''–	श्री विवेक शुक्ला	सउनि (अ)
23	स्थापना शाखा	श्री प्रभाकांत द्विवेदी	सूबेदार (अ)
24	–''–	श्री किशोर काले	सउनि (अ)
25	–''–	श्री महेन्द्र श्रीवास	सउनि (अ)
26	शिकायत शाखा	श्री जितेन्द्र जोशी	सउनि (अ)
27	आवास शाखा	श्री गोविन्द बिहारी रावत	रक्षित निरीक्षक
28	रिकार्ड कीपर शाखा	श्री अमित दीक्षित	सउनि (अ)
29	अवकाश शाखा	श्रीमति लता एन्थोनी	सउनि (अ)
30	एसी प्रथम	श्री राजेन्द्र बोरसे	उनि (अ)
31	आर्म्स शाखा	श्री सुनिल जैन	सूबेदार (अ)
32	वेतन वृद्वि शाखा	श्री राजेन्द्र कुमार नवीन	उनि (अ)
33	पेंशन शाखा	श्री एम.ए. कादरी	उनि (अ)
34	सेवा पुस्तिका शाखा	श्री अर्जुन सिह रघुवंशी	सउनि (अ)

	आवक जावक शाखा	श्री धीरज शर्मा	सउनि (अ)
	आवक जावक शाखा	श्रीमती सुमन यादव	सउनि (अ)
	आवक जावक शाखा	सुश्री लक्ष्मी रायकवार	सउनि (अ)

पुलिस अधीक्षक के दायित्व :–

(अ) पर्यवेक्षण संबंधी :–

1. अपराध – गंभीर अपराधों जैसे सनसनीखेज़ हत्या अथवा अंधा कत्ल, डकैती, सनसनीखेज़ लूट, महिलाओं एवं कमजोर वर्गों पर घटित कोई घटना, सनसनीखेज़ अपराध अथवा ऐसी कोई घटना, जिसकी जनता में व्यापक प्रतिक्रिया हुई हो अथवा तनाव उत्पन्न हुआ हो अथवा कानून व्यवस्था की दृष्टि से संभावित हो, तथा संगंठित–अपराधों आदि के संदंर्भ में मौके पर जाकर उपचारार्थ आदेश नगर पुलिस अधीक्षक को देने एव मार्ग दर्शन देने का कार्य अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का होगा। पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगें की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपने दायित्व का निर्वाहन ठिक से किया जा रहा हैं अथवा नहीं ?

2. कानून व्यवस्था – गंभीर कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक तनाव की स्थिती में पुलिस अधीक्षक आवश्यकतानुसार स्वंय मौके पर उपस्थित रहकर अपने अधिनस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित नगर पुलिस अधीक्षक को उचित मार्ग दर्शन देकर नियंत्रण रखने हेतु हर संभव कार्रवाई करेगें।

3. कम्यूनिटी पुलिसिंग – पुलिस अधीक्षक अपने अधिनस्थ क्षेत्र में कम्यूनिटी पुलिसिंग संबंधी विभिन्न योजनाएं क्षेत्र की अवस्था अनुसार अपने अधिनस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं नगर पुलिस अधीक्षकों/अनुविभागीय अधिकारी पुलिस/पुलिस उप अधीक्षक से विचार–विमर्श के उपरान्त तैयार करेंगें और उनकों लागू करने में मार्गदर्शन एवं सहयोग देंगें।

4. निरीक्षण – सामान्यतः अपने अधिनस्थ इकाईयों का वर्ष में एक बार पुलिस अधीक्षक द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।

5. प्रशिक्षण – पुलिस अधीक्षक पुलिस बल की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण की रूप–रेखा एवं कार्यक्रम के अनुसार उपका क्रियान्व्यन कराएगें एवं अपने अधिनस्थ मैदानी इकाईयों की व्यवसायी दक्षता में सुधार हेतु प्रशिक्षण में उच्च श्रेणी की गुणवत्ता सुनिश्चित करायेंगे।

6. योजना – पुलिस की मैदानी आवश्यकतसओं के अनुरूप पुलिस अधीक्षक विभिन्न आधुनिकरण योजनाएं तथा दीर्घकालीन योजनाएं जैसे नवीन थाना/चौकियों की स्थापना, बल वृद्धि आदि के प्रस्ताव तैयार कराकर पुलिस उप महानिरीक्षक रनेज के माध्यम से वरिष्ठ कार्यालय को योजना की स्वीकृती हेतु प्रेषित करेंगे एवं स्वीकृति उपरान्त इसका क्रियान्व्यन सुनिश्चित करायेंगे।

7. समन्वय – पुलिस अधीक्षक निकटस्थ जिलों से, अन्तर्राजीय तथा अन्तर्राजीय इकाईयों से समन्वय स्थापित करेंगे।

8. संसाधन की उपलब्धता – इकाई की आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के संसाधन जैसे– मानव संसाधन, वाहन, उपकरण, शस्त्र एवं गोला बारूद तथा तम्बू आदि उपलब्ध कराने

की व्यवस्था करेगे एवं सभी संसाधनों को हमेशा तैयारी की स्थिती में रखेगें ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग किया जा सके।

9. दूरसंचार – अपने अधिकार क्षेत्र में दूरसंचार की व्यवस्था एवं उनके कर्मचारियों के कार्यों पर भी पर्यवेक्षण रखेगें।

(ब) प्रशासनिक :–

1. **भर्ती** – प्रति वर्ष जिला पुलिस बल एवं पुलिस प्रशिक्षण शाला के लिये आरक्षक एवं आरक्षक ट्रेड की भर्ती आयोजित की जाती है । पुलिस महानिरीक्षक, जोन द्वारा जारी विज्ञापन अनुसार एवं गठित भर्ती समिती के निर्देशन में भर्ती की कार्रवाई का सम्पादन कराना । उम्मीदवारों की शारीरिक माप जोख, शारीरिक प्रवीणता टेस्ट, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार की व्यवस्था करना । भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद चयनित आवेदकों का नियमानुसार चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सकीय परीक्षण उपरांत नियुक्ति प्रदान करना । शासन नियमानुसार इकाई में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्तव्य पर मृत्यु होने की स्थिति में आश्रितों को योग्यतानुसार एवं नियमो के तहत अनुकम्पा नियुक्ति प्रदाय करते है ।

2. **क्रमोन्नति** – पुलिस अधीक्षक आरक्षक से प्रधान आरक्षक स्तर के कर्मचारियों के क्रमोन्नति संबंधि कार्यवाही अपने अधिकार क्षेत्र में करेगें एवं सहायक उप निरीक्षक से निरीक्षक वर्ग के पुलिस अधिकारीयों के क्रमोन्नति प्रकरण तैयार कर पुलिस उप महानिरीक्षक के माध्यम से वरिष्ठ कार्यालय को अनुमति हेतु प्रेषित करेंगें ।

3. **आरोप पत्र** – पुलिस अधीक्षक अपने अधिकार क्षेत्र में आरक्षक से निरीक्षक तक के अधिकारीयों को आरोप पत्र जारी कर सकेगें।

4. **अनुशासनात्मक कार्यवाही** – पुलिस अधीक्षक अपने अधिकार क्षेत्र में म.प्र. पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा 223 में वर्णीत अनुशासन संबंधी सभी शक्तियों का उपयोग करेगें।

5. **इनाम** – पुलिस अधीक्षक को अपने अधिकार क्षेत्र में म.प्र. पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा 80 के अनुसार पुलिस अधिकारीयों एवं कर्मचारीयें को इनाम स्वीकृत करने का अधिकार होगा।

6. **स्थानान्तरण** – पुलिस अधीक्षक अपने अधिकार क्षेत्र में अधिनस्थ अराजपत्रीत अधिकारीयों के स्थानान्तरण पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी जीओपी के अधीन तथा शासन द्वारा स्थानान्तरण नीति के तहत कर सकेंगें। गैर जिला बल यथा डी.सी.आर.बी., डीसीबी, डी.एस. बी. और जे.ए.बी. – अजाक को छोडकर शाखाओं से जिला बल में एवं जिला बल से इन गैर जिला बल शाखाओं में आरक्षक से निरीक्षक स्तर के स्थानान्तरण किये जाते है ।

7. **गोपनीय चरित्रावली** – पुलिस अधीक्षक वर्तमान में प्रचलित एसीआर लेखन के संबंध में शासनादेशों के तहत रहते हुए पुलिस अधिकारीयों की वर्षिक गोपनीय चरित्रावली में टीप अंकित करेगें । इस संबंध में संबंधित अधिकारीयों के कार्य के बारें में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से आवश्यक फीड–बैक प्राप्त करेगें एवं उसका उपयोग अपनी टीप लिखते समय करेगें।

8. **अवकाश** – पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों एवं नगर पुलिस अधीक्षों का आकास्मिक अवकाश स्वीकृत करेगें तथा निरीक्षक से उपर स्तर के अधिकारियों के अर्जित अवकाश प्रकरण पुलिस उप महानिरीक्षक रेन्ज के माध्यम से वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित करेंगे ।

9. अपील एवं याचिका – पुलिस अधीक्षक द्वारा अपील एवं याचिकाओं के संबंध में म.प्र. पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा क्रमांक 262 से 275 ए में वर्णत प्रावधानों का पालन किया जायेगा।

10. यात्रा भत्ता एवं अन्य देयक – पुलिस अधीक्षक अपने अधिनस्थ समस्त अधिकारियों के यात्रा भत्ता देयको एवं अन्य देयकों को प्रतिहस्ताक्षरित करेगें।

11. पदोन्नति – आरक्षक से प्रधान आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक ''अ'' वर्ग की पदोन्नति की लिखित परीक्षा के लिये पात्रित कर्मचारियों के सेवा अभिलेख का निरीक्षक करना एवं योग्य कर्मचारियों के सेवा विवरण को पुलिस उप महानिरीक्षक रेन्ज की ओर प्रेषित कर वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त दिशा–निर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित करते है

(स) वित्तीय – पुलिस अधीक्षक म.प्र. शासन वित्तीय विभाग द्वारा जारी की गई वित्तीय अधिकार पुस्तिका 1995 के भाग 1 एवं 2 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेगें।

(द) विविध – वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय–समय पर सौंपे गए कार्यों को संपादित करेगें।

पुलिस अधिनियम, 1861 :–
पुलिस विभाग की वेबसाईट ्ण्उचचवसपबमण्हवअण्पद में उपलब्ध है।

8. लोक प्राधिकरण (जिला पुलिस) की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षायें :

कानून व्यवस्था, लोक शांति, साम्प्रदायिक सोहाद्र, जातीय सोहाद्र बनाये रखने में तथा अपराधों की रोकथाम करने एवं अपराधियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने में सूचना व सामंजस्य के विभिन्न स्तरों पर पुलिस को जनसहयोग की आवश्यकता एवं अपेक्षा होती है।

अतः इस संबंध में जनता एवं पुलिस के सामंजस्य एवं सहयोग के स्तर को बढाने हेतु उचित होगा कि जनसामान्य व्दारा सूचना के अधिकार अधिनियम का अधिकाधिक एवं प्रभावी उपयोग किया जाये तथा जनसंवाद शिविरों शिकायत निवारण शिविरों, सामुदायिक पुलिसिंग, पुलिस मैत्री शिविरों, ग्राम रक्षा समिति/नगर रक्षा समिति की गतिविधियों में जनसाधारण व्दारा सक्रिय रूप से भाग लिया जावे एवं नीति निर्धारण एवं कार्यवाही से संबंधित जनहित के विषयों एवं मुददों पर पुलिस को अपने अभिमत से अवगत कराया जावे जिससे पुलिस एवं जनता को परस्पर अपेक्षा पूर्ति में आवश्यक सहायता व दिशा निर्देशक संकेत प्राप्त हो सकें।

9. जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिये विधि/व्यवस्था :

- सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवश्यक कार्यवाही
- नगर सुरक्षा समिति
- ग्राम रक्षा समिति
- पारिवारिक परामर्श केन्द्र
- संजीवनी फाउण्डेशन/बालमित्र
- चलित थाना
- वी केयर फार यू
- नशामुक्ति केन्द्र
- नेबरहुड योजना
- कॉल बेल योजना
- मुक बधिर सहायता केन्द्र
- जनशिकायत निवारण कक्ष उपलब्ध है।
- इकाई स्तर पर जन संवाद शिविरों का आयोजिन
- खुला दरबार
- पुलिस मैत्री शिविरों का आयोजन
- पुलिस चिकित्सा शिविरों का आयोजन
- पुलिस ग्राम रक्षा समिति, नगर रक्षा समिति सम्मेलनों का आयोजन

10. जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था :

अधिनस्थ इकाइयों के कार्यों का पर्यवेक्षण– नियमित निरीक्षण, आकस्मिक निरीक्षण एवं विशेष पर्यवेक्षण के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था लागू है थाना स्तर, अनुभाग स्तर एवं जिला स्तर पर विभाग से संबंधित कार्यवाही बाबत् शिकायतें प्राप्त करने, उक्त शिकायतों की जॉच कराकर उचित वैद्यानिक निराकरण कराये जाने की व्यवस्था लागू है तथा जिला पुलिस कार्यालय में प्रथक से शिकायत शाखा भी कार्यरत है तथा समय समय पर जनशिकायत निवारण शिविरों/जनसंवाद शिविरों का आयोजन कर उक्त दिशा में आवश्यक कार्यवाही की व्यवस्था कार्यरत है।

11. मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पतेः

उपरोक्त वांछित जानकारी आगे दी जा रही अपीलीय अधिकारी/ लोक सूचना अधिकारियों/सहायक लोक सूचना अधिकारियों से संबंधित जानकारी के साथ समाविष्ट की गयी है।

12. जिला पुलिस कार्यालय के खुलने का समय : प्रातः 10.30बजे
जिला पुलिस कार्यालय के बन्द होने का समय : सायं 05.30बजे

थानों एवं पुलिस कन्ट्रोल रूम का समय : 24 घण्टे (केवल तात्कालिक सेवाओं हेतु)

अध्याय–3 (मैन्युअल–2)

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

पद का नाम	पुलिस अधीक्षक
शक्तियां	प्रशासकीय :– पुलिस अधीक्षक, जिला पुलिस का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होकर म0प्र0पुलिस रेग्यूलेशन, पुलिस एक्ट तथा सिविल सेवा संबंधी नियमों एवं विनियमों तथा समय समय पर गृह विभाग एवं पुलिस मुख्यालय व्दारा जारी परिपत्रों व्दारा प्रदत्त समस्त प्रशासकीय शक्तियों एवं तत्समय प्रचलित विधि प्रदत्त समस्त जिलास्तरीय प्रशासकीय शक्तियों से प्राधिकृत है।
	वित्तीय :– पुलिस विभाग के जिलास्तरीय आहरणकर्ता अधिकारी के रूप में समस्त वित्तीय शक्तियां एवं उपरोक्तानुसार नियमों/ विनियमों प्रावधानों के तहत् वित्तीय शक्तियॉ
	अन्य :– दण्ड प्रक्रिया संहिता के वैद्यानिक प्रावधानों के तहत् जिले के क्षेत्राधिकार के समस्त थानों में पर्यवेक्षण कर्ता अधिकारी के रूप में थाना प्रभारी की समस्त शक्तियों के उपयोग का अधिकार तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता सहित अन्य प्रचलित विधियों/ अधिनियमों के तहत् वैद्यानिक शक्तियां एवं पुलिस रेग्यूलेशन व पुलिस एक्ट एवं विभागीय परिपत्रों के माध्यम से प्रदत्त समस्त अनुशासनात्मक विभागीय व अन्य शक्तियॉ
कर्तव्य	जिले में कानून व्यवस्था–सुरक्षा बनाये रखने संबंधी कार्यो का अधिनस्थ इकाइयों के माध्यम से संचालन कराना एवं अपराधों की रोकथाम अपराधों की विवेचना, अभियोजन आदि कार्य अधिनस्थ इकाइयों के माध्यम से संचालित कराना प्रचलित विधि एवं वैद्यानिक प्रावधानों, गृह विभाग व पुलिस मुख्यालय व वरिष्ठ कार्यालयों व्दारा समय समय पर जारी किये गये परिपत्रों आदेशों के पालन की दिशा में जिले में आवश्यक कार्यवाही का संचालन कराना एवं जिला प्रशासन को वांछित सहयोग प्रदान करना।

पद का नाम	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
शक्तियां	प्रशासकीय :– पुलिस अधीक्षक व्दारा प्रदत्त एवं हस्तान्तरित की गयी समस्त समरूपी शक्तियां एवं प्रचलित विधि अनुसार राजपत्रित पुलिस अधिकारियों को प्रदत्त समस्त शक्तियां एवं समस्त जिले का वैद्यानिक क्षेत्राधिकार एवं पुलिस अधीक्षक की ओर से व उनके स्थानापन्न के रूप में पुलिस अधीक्षक की ओर से उक्त शक्तियों का उपयोग
	वित्तीय :– पुलिस अधीक्षक व्दारा प्रदत्त की गयी एवं हस्तांतरित की गयी जिले की संबंधित वित्तीय शक्तियां
	अन्य :– जिले में पुलिस अधीक्षक के स्थानापन्न के रूप में परिस्थिति अनुसार पुलिस अधीक्षक व्दारा हस्तांतरित शक्तियॉ
कर्तव्य	पुलिस अधीक्षक को जिला पुलिस कार्यालय के संचालन एवं जिला स्तरीय अन्य कार्यो में वांछित सहयोग निर्देशानुसार करना एवं पुलिस अधीक्षक के सामान्य कर्तव्यों का स्थानापन्न के रूप में निर्वहन

पद का नाम	उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय
शक्तियां	प्रशासकीय :– पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिला पुलिस कार्यालय के संचालन एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारी के कर्तव्यों का निष्पादन
	वित्तीय :– पुलिस अधीक्षक व्दारा प्रदत्त वित्तीय आहरण संबंधी अधिकार
	अन्य :– प्रचलित विधियों एवं पुलिस रेग्यूलेशन तथा विभागीय परिपत्रों आदेशों व्दारा प्रदत्त शक्तियॉ एवं पुलिस अधीक्षक इन्दौर व्दारा आदेशित दायित्वों का निर्वहन ।
कर्तव्य	जिला पुलिस कार्यालय के संचालन में पुलिस अधीक्षक को वांछित सहयोग प्रदाय करना एवं पूर्वोत्त वर्णित विधि विधानों विभागीय नियमों/विनियमों एवं परिपत्रों व आदेशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही संचालित कराना

नगर पुलिस अधीक्षक/एसडीओपी की शक्तियां एवं कर्तव्य उपरोक्त वर्णित शक्तियों एवं कर्तव्यों के ही समानुरूप होकर अपने अपने संबंधित अनुविभाग/सर्किल के थानों में पर्यवेक्षणकर्ता राजपत्रित पुलिस अधिकारी के रूप में समानुरूप शक्तियों एवं कर्तव्यों में समाविष्ट होकर प्रचलित विधि एवं रेग्यूलेशन तथा विभागीय परिपत्रों आदेशों के अनुरूप संचालित होती हैं।

रक्षित निरीक्षक/ निरीक्षक थाना प्रभारी / थाना प्रभारी व अन्य उप निरीक्षक सहायक उप निरीक्षक प्रधान आरक्षक गस्ती, प्रधान आरक्षक मोहर्रिर व आरक्षक गण मुन्शी मोहर्रिर मददगार आदि की सामान्य शक्तियां एवं कर्तव्य मुख्यतः मध्य प्रदेश पुलिस रेग्यूलेशन एवं विभागीय परिपत्रों आदेशों में वर्णित हैं एवं दीगर विधि प्रदत्त शक्तियॉ थाना इकाइयों में पदस्थ अधिकारीगण कर्मचारीगण के परिप्रेक्ष्य में समीचीन हैं, किसी प्रकार के वित्तीय अधिकार प्राप्त नहीं हैं अन्य विस्तृत विवरण मध्यप्रदेश पुलिस बेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसी प्रकार पुलिस अधीक्षक कार्यालय जिला पुलिस कार्यालय से संबंधित पूर्वोक्त वर्णित विभिन्न शाखाओं प्रशाखाओं को प्रथक से कोई प्रशासकीय वित्तीय अथवा अन्य अधिकार स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं हैं एवं उक्त शाखाओं प्रशाखाओं में कार्यरत कर्मचारीगण अधिकारीगण का मुख्य कर्तव्य पुलिस अधीक्षक/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उपुअ मुख्यालय को आवश्यक कार्यालयीन कार्य संपादन में सहयोग करना है।

अध्याय–4 (मैन्युअल–3)

कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

जिला स्तर पर जिला पुलिस कार्यालय में कार्यरत अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण व्दारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूची निर्धारित प्रारूप में वांछित बिन्दुवार विवरण अनुसार निम्न प्रकार है :–

(अ) अभिलेख का नाम :–

1. भारतीय दण्ड संहिता
2. दण्ड प्रकिया संहिता
3. भारतीय साक्ष्य विधि
4. पुलिस मैन्युअल एवं रेग्यूलेशन
5. क्रिमिनल माइनर एक्टस
6. सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966
7. विविध अपराध अधिनियम
8. चिकित्सा न्याय शास्त्र एवं विषविज्ञान
9. भारत का संविधान एक परिचय
10. एमपी पुलिस रेग्यूलेशन (अंग्रेजी)
11. भारत का संविधान (अंग्रेजी)
12. इण्डियन पेनल कोर्ट (अंग्रेजी)
13. क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट (अंग्रेजी)
14. द लॉ ऑफ एवीडेन्स (अंग्रेजी)
15. डिपार्टमेन्टल इन्क्वारीज – प्रथम, द्वितीय
16. मेडीकल ज्यूरिसप्रोडेन्स एण्ड टोक्सीकोलोजी
17. उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों संबंधी पुस्तकें (संख्या 122 वर्ष 1988 से 2004 तक)
18. अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं नियम 1995
19. पुलिस राजपत्र आदेश संकलन 1958 से 2002 तक
20. विभागीय जॉच व उसका बचाव
21. कर्मचारी कल्याणकारी लाभ सुविधायें
22. डिक्सनरी
23. आल इन वन वर्ष 2005
24. पेंशन नियम
25. भ्रष्टाचार विरोधी कानून
26. सिविल सेवा आचरण
27. वेतन आयकर
28. म0प्र0 भण्डार क्रय नियम
29. म0प्र0 यात्रा भत्ता नियम
30. म0प्र0 पेंशन नियम
31. म0प्र0 शासकीय कर्मचारी कल्याणकारी सुविधा
32. वित्तीय शक्ति पुस्तिका 1995
33. वित्तीय संहिता
34. कोषालय संहिता
35. एक में अनेक 98
36. मध्य प्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम
37. सर्विस डायजेस्ट
38. वेतन पर आयकर
39. म0प्र0 जनरल सर्कुलर

40. बुक ऑफ फायनेंसियल पावर
41. इन्कमटेक्स आफ सेलरी
42. मध्य प्रदेश मंहगाई भत्ता तथा अंतरिम राहत नियम
43. मध्य प्रदेश स्टोर परचेज रूल
44. मध्य प्रदेश टी0ए0 रूलस
45. राजपत्र शासन आदेश (वर्ष 1958 से 2002 तक के जी.ओ.पी) मध्यप्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर जारी की गयी सूची के अनुसार
46. विभागीय परिपत्र,आदेश एवं दैनदिंन विभागीय कार्य सवंधी नस्तियां रजिस्टर्स एवं पत्राचार सवंधी विभागीय अभिलेख

(ब) अभिलेख का प्रकार :–

1. उपरोक्त सूची पर बिन्दु कमांक 1 से लगायत 44 पर दर्ज किये गये अभिलेख–विधि सवंधी,अधिनियम तथा शासकीय नियमों विनियमों अनुदेशों व निर्देशिका सवंधी पुस्तकें हैं जिनका प्रकार सवंधित विषयवस्तु अनुसार है ।
2. बिन्दु कमांक 45 पर दर्ज अभिलेख शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये जी.ओ.पी. हैं
3. बिन्दु कमांक 46 के अभिलेख जिला पुलिस कार्यालय के सामान्य अभिलेख हैं

(स) अभिलेख का सक्षिप्त परिचय :–

1. बिन्दु कमांक 1से 44 पर दर्ज पुस्तकों का विवरण मध्यप्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर जारी किये गये विवरण के अनुसार एवं पुस्तकों के शीर्षकों से सवंधित विषयवस्तु अनुसार है
2. बिन्दु कमांक 45 पर दर्ज किये गये जी.ओ.पी. आदेशों का विवरण मध्यप्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस वावत जारी किये गये विवरण अनुसार है ।
3. बिन्दु कमांक 46 पर दर्ज सामान्य अभिलेखों का परिचयात्मक विवरण उनकी विषयवस्तु अनुसार है ।

(द) उपरोक्त समस्त अभिलेखों की प्रति कहां से प्राप्त की जा सकती हैः–

जिला पुलिस कार्यालय इन्दौर से जिला सूचना अधिकारी अथवा जिले के सहायक लोक सूचना अधिकारी के समक्ष नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों की परिधि में प्रदाय योग्य अभिलेख की प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

पताः– **जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय,**
आर.एन.टी. मार्ग,
रानी सराय भवन
इन्दौर (म.प्र.)
दूरभाष कमांक 0731–2522500

(इ) उपरोक्त अभिलेख प्राप्ती हेतु शुल्क :–

शुल्क सवंधी खुलासा नियमानुसार पूर्ववर्ती सवंधित अध्याय में किया जा चुका है

अध्याय–5(मैन्युअल–4)

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनायी गयी व्यवस्था का विवरण

(1) नीति निर्धारण हेतु :–

क0	विषय/क्त्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है? (हाँ/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गयी व्यवस्था
1ण	प्रमुख धार्मिक त्यौहरों, धार्मिक राजनैतिक, सामाजिक आयोजनों एवं अन्य समसामयिक बडे आयोजनों तथा बडे जलसे जुलूसों के संबंध में	अनिवार्यता का कोई बिन्दु नहीं है परन्तु सामान्य तौर पर जनभागीदारी प्राप्त करने का प्रचलन प्रभावी रूप से लागू है एवं जारी है	संबंधित कार्यक्रम अथवा आयोजन के पूर्व शांति समिति की बैठक आयोजित की जाती है जिसमें संबंधित आयोजकों अथवा कार्यक्रम से संबंधित प्रमुख लोगों गणमान्य नागरिकों एवं जनसामान्य में प्रभावी पहुँच रखने वाले प्रमुख व्यक्तियों संबंधित संस्था प्रमुखों एवं जनसामान्य के कुछ नागरिकों को आमंत्रित कर बैठक में संबंधित कार्यक्रम/आयोजन (विषयवस्तुअनुसार) के संबंध में चर्चा कर जानकारियों एवं सुझावों का परस्पर आदान प्रदान कर बैठक में निर्धारित उपयोगी बिन्दुओं का समावेश करते हुये पुलिस व्यवस्था की जाती है। इसी प्रकार समय समय पर जनसंवाद शिविरों का आयोजन कर लोक महत्व के बिन्दुओं पर पुलिस से संबंधित जनअपेक्षाओं एवं प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में जनसाधारण से परिचर्चा व परामर्श कर निर्धारित हुये उपयोगी बिन्दुओं का समावेश आवश्यक संबंधित पुलिस कार्यवाही में किया जाता है।
2ण	कतिपय आकस्मिक आपात कालीन घटनाओं के संबंध में	उपरोक्तनुसार	किसी ऐसी घटना घटित होने पर जिससे जनसामान्य में अशांत अप्रिय वातावरण असाधारण रूप से निर्मित हुआ हो अथवा किसी प्राकृतिक/अप्राकृतिक आकस्मिक आपदा के कारण निर्मित विशेष परिस्थितियों में पूर्वोक्तानुसार ही समाज के प्रमुख वर्गो के प्रतिनिधियों का समावेश करते हुये शांति कमेटी की मीटिंग सामान्यतः ली जाती है एवं बैठक में आपसी परामर्श से निर्धारित हुये बिन्दुओं का समावेश करते हुये स्थिति को सामान्य बनाने अथवा शांति व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सोहाद्र कायम करने अथवा आवश्यक बचाव राहत कार्य करने हेतु तदनुसार पुलिस व्यवस्था अथवा जिला प्रशासन को सहयोग करते हुये आवश्यक व्यवस्था की जाती है।

(2) नीति के कियान्वयन हेतु :–

क0	विषय/क्त्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है? (हाँ/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गयी व्यवस्था
1	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
2			**नोट** :– कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा सम्बन्धी जनहित के बिन्दुओं पर नीतियों के कियान्वयन हेतु उपरोक्तानुसार जनसामान्य के प्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर पुलिस व्यवस्था में आवश्यक सकिय सहयोग प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किये जाते हैं एवं विशेष परिस्थितियों में वैद्यानिक प्रावधानों के अनुसार ''विशेष पुलिस अधिकारियों'' की नियुक्ति जनसाधारण में से की जाती है इसके अतिरिक्त ग्राम रक्षा समिति/ नगर रक्षा समिति/ कम्युनिटी पुलिसिंग जैसे कार्यक्रमों के तहत् जनसामान्य की भागीदारी जनहित के कार्यो में ली जाने की व्यवस्था लागू है।

अध्याय–6(मैन्युअल–5)

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों ;बंजमहवतपमेद्ध के अनुसार विवरण

क्र0	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया	धारक / नियंत्रणाधीन
1.	विधि / अधिनियम / नियमों / निर्देशक तत्वों संबंधी पुस्तकें	पूर्व में अध्याय 4 में दी गयी सूची में बिन्दु क्रमांक 1 से 44 तक की पुस्तकें तत्संबंधी परिचयात्मक विवरण अनुसार	पूर्व में अध्याय 4 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार संबंधित सूचना अधिकारी के माध्यम से	रिकार्ड कीपर जिला पुलिस कार्यालय इन्दौर
2.	शासकीय आदेश परिपत्र (जीओपी)	पूर्व में अध्याय 4 में बिन्दु क्रमांक 45 पर वर्णनानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
3.	दैनन्दिन विभागीय कार्य संबंधी पत्राचार आदि अभिलेख	पूर्व में अध्याय 4 में बिन्दु क्रमांक 46 पर दिये गये विवरणानुसार	उपरोक्तानुसार	संबंधित शाखा के प्रभारी अधिकारी

नोट :–

अन्य वांछित विवरण हेतु सूचना पुस्तिका से एवं मध्य प्रदेश पुलिस की बेबसाइट से आवश्यक संदर्भ प्राप्त किये जा सकते हैं।

अध्याय–7 (मैन्युअल–6)

बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

पुलिस विभाग की जिला पुलिस इकाई के अन्तर्गत कोई शासकीय विभागीय बोर्ड परिषद समिति एवं अन्य निकाय सम्बद्ध नहीं हैं अतः पुलिस विभाग जिला इकाई से संबंधित उपरोक्त बिन्दुओं पर वांछित जानकारी निरंक है।

अध्याय–8 (मैन्युअल–7)

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियॉं

जिला	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का पता	कार्यालय का दूरभाष	निवास का दूरभाष	निवास का पता
लोक सूचना अधिकारी	श्री अरविन्द तिवारी	अति. पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा एंव मुख्यालय	रीगल चौराहा इन्दौर	2529885	947993367	
सहायक लोक सूचना अधिकारी	श्रीमती मंजूलता खत्री	उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय	रीगल चौराहा इन्दौर	94250 14445		ई–1 रेडियो कालोनी इन्दौर
अपीलीय अधिकारी	**श्री मकरन्द देउस्कर**	**पुलिस अधीक्षक पूर्व इन्दौर**	–''–	**2491397**	**9425087494**	**ई – 2/1, नर्मदानगर स्कीम नंबर 78 विजयनगर**
अनुभाग	**स्तर**	**कोतवाली**				
सहा. लोक सूचना अधिकारी	श्री आर के सोनकर	निरीक्षक	थाना प्रभारी कोतवाली	2546700	9425188337	थाना कोतवाली परिसर
सहा. लोक सूचना अधिकारी	श्री आर के मालवीय	निरीक्षक	थाना प्रभारी एमजी रोड	2540100	9425303054 एवं 9479993396	
–''–	श्री डी के तिवारी	निरीक्षक	थाना प्रभारी तुकोगंज	2433100	9826079109	श्रानीबाग कालोनी खण्डवा रोड इंदौर
लोक सूचना अधिकारी	**श्री राजेश रघुवंशी**	**नगर पुलिस अधीक्षक**	**कोतवाली**	**2544100**	**9479993370**	
अपीलीय अधिकारी	**श्री मकरन्द देउस्कर**	**पुलिस अधीक्षक पूर्व इन्दौर**	–''–	**2491397**	**9425087494**	**ई – 2/1, नर्मदानगर स्कीम नंबर 78 विजयनगर**
सहा. लोक सूचना अधिकारी	श्री एस एन जैदी	निरीक्षक	थाना प्रभारी संयोगितागंज	2703030	9425300064	डीआरपी लाईन इंदौर
सहा. लोक सूचना अधिकारी	श्री डी के जैन	निरीक्षक	थाना प्रभारी छोटी ग्वालटोली	2524400	9425054299	154 बख्तावरराम नगर इंदौर
सहा. लोक सूचना अधिकारी	श्री अरविंद खरे	निरीक्षक	थाना प्रभारी पलासिया	2499400	9425137448	संयोगितागंज इंदौर
लोक सूचना अधिकारी	**श्री पंकज पाण्डे**	**नगर पुलिस अधीक्षक**	**संयोगितागंज**	**2703640**	**9425915500**	**पुलिस आफिसर मेस**
अपीलीय अधिकारी	**श्री मकरन्द देउस्कर**	**पुलिस अधीक्षक पूर्व इन्दौर**	–''–	**2491397**	**9425087494**	**ई – 2/1, नर्मदानगर स्कीम नंबर 78**

						विजयनगर

सहा. लोक सूचना अधिकारी	श्री संतोषसिंह भदौरिया	निरीक्षक	थाना प्रभारी परदेशीपुरा	2434100	9425087906	थाना कोतवाली परिसर
–'–	श्री बीपीएस परिहार	निरीक्षक	थाना प्रभारी हीरानगर	2553100	9425081199	1389 स्कीम नंबर 114 पार्ट 1
–''–	श्री रामलखनसिंह भदौरिया	निरीक्षक	थाना प्रभारी बाणगंगा	2720300	9977728018	थाना परिसर बाणगंगा
लोक सूचना अधिकारी	**श्री जे.पी. सिंह भदौरिया**	**नगर पुलिस अधीक्षक परदेशीपुरा**	**परदेशी पुरा**	**2535100**	**9425122318**	
अपीलीय अधिकारी	**श्री मकरन्द देउस्कर**	**पुलिस अधीक्षक पूर्व इन्दौर**	**–''–**	**2491397**	**9425087494**	**ई – 2/1, नर्मदानगर स्कीम नंबर 78 विजयनगर**
सहा. लोक सूचना अधिकारी	श्री मोहन सिंह यादव	निरीक्षक	थाना प्रभारी एमआईजी कालोनी	2551100	9479993470	
–'–	श्री बी एस परिहार	–''–	थाना प्रभारी खजराना	2591476	98262 54488	168 परागनगर सुखलिया
–''–	श्री संजीव मूलू	–''–	थाना प्रभारी लसूडिया	2802999	9425057690	गीतांजली फलेट नंबर 201 जावरा कम्पाउंड
लोक सूचना अधिकारी	**श्री अमरेन्द्रसिंह**	**नगर पुलिस अधीक्षक**	**विजयनगर इन्दौर**	**2574794**	**9425413030**	**सदरबाजार पुलिस लाईन**
अपीलीय अधिकारी	**श्री मकरन्द देउस्कर**	**पुलिस अधीक्षक पूर्व इन्दौर**	**–''–**	**2491397**	**9425087494**	**ई – 2/1, नर्मदानगर स्कीम नंबर 78 विजयनगर**
सहा. लोक सूचना अधिकारी	श्री आनंद यादव	निरीक्षक	थाना जूनी	2449651	94251 03975	श्रावजीबाजार
–''–	श्री एम0के0 श्रीवास	–''–	थाना प्रभारी भवरकुआं	2449948	9479993520	
–'''–	श्री आर एस बघेल	–''–	थाना प्रभारी रावजीबाजार	2449369	9753841711	
लोक सूचना अधिकारी	**श्री बिटटू सहगल**	**नगर पुलिस अधीक्षक**	**जूनी इन्दौर**	**2409087**	**9893685752**	
अपीलीय अधिकारी	**श्री मकरन्द देउस्कर**	**पुलिस अधीक्षक पूर्व इन्दौर**	**–''–**	**2491397**	**9425087494**	**ई – 2/1, नर्मदानगर स्कीम नंबर 78 विजयनगर**

सहा. लोक सूचना अधिकारी	श्री पवन मिश्रा	निरीक्षक	थाना प्रभारी पंढरीनाथ	2349800	94253 00091	
–''–	श्रीमती गौरीशंकर चढार	निरीक्षक	थाना प्रभारी सराफा	2541156	9425012495	
–''–	श्री राकेश व्यास	–''–	थाना प्रभारी छत्रीपुरा	2349851	9425196100	
लोक सूचना अधिकारी	**श्री गीतेश गर्ग**	**नगर पुलिस अधीक्षक**	**सराफा**	**2349700**	**9425145055**	**पलासिया थाना परिसर**
अपीलीय अधिकारी	**श्री मकरन्द देउस्कर**	**पुलिस अधीक्षक पूर्व इन्दौर**	**–''–**	**2491397**	**9425087494**	**ई – 2/1, नर्मदानगर स्कीम नंबर 78 विजयनगर**
सहा. लोक सूचना अधिकारी	श्री एस के तोमर	निरीक्षक	थाना प्रभारी मल्हारगंज	2459100	94253 00075	
–''–	श्री जे एस भदौरिया	निरीक्षक	थाना प्रभारी सदरबाजार	2542100	94253 00075	
–''–	श्री नवरतनसिंह	–''–	थाना प्रभारी एरोड्रम	2620100	99260 07303	राजेन्द्रनगर थाना परिसर
लोक सूचना अधिकारी	**श्री शैलेन्द्रसिंह चौहान**	**नगर पुलिस अधीक्षक**	**मल्हारगंज इन्दौर**	**2459002**	**94253 01200**	
अपीलीय अधिकारी	**श्री मकरन्द देउस्कर**	**पुलिस अधीक्षक पूर्व इन्दौर**	**–''–**	**2491397**	**9425087494**	**ई – 2/1, नर्मदानगर स्कीम नंबर 78 विजयनगर**
सहा. लोक सूचना अधिकारी	श्री वी एस द्विवेदी	निरीक्षक	थाना प्रभारी अन्नपूर्णा	2780032	94250 48533	
–''–	श्री अजय कैथवास	–''–	थाना प्रभारी चंदननगर	2780033	94250 48533	
–''–	श्री जयंत राठौर	–'–	थाना प्रभारी राजेन्द्रनगर	2321835	94250 47799	
लोक सूचना अधिकारी	**श्री दिलीप सिंह तोमर**	**नगर पुलिस अधीक्षक अन्नपूर्णा**	**अन्नपूर्णा इन्दौर**	**5094689**	**9425016555 9479993377**	
अपीलीय अधिकारी	**श्री मकरन्द देउस्कर**	**पुलिस अधीक्षक पूर्व इन्दौर**	**–''–**	**2491397**	**9425087494**	**ई – 2/1, नर्मदानगर स्कीम नंबर 78 विजयनगर**

सहा. लोक सूचना अधिकारी	श्री अंगदसिह राठौर	निरीक्षक	थाना प्रभारी महू	273678	94250 92520	महू कोतवाली परिसर
–''–	श्री सियासाए	निरीक्षक	थाना प्रभारी मानपुर	248223	9479993638 9752743591	
–''–	श्री रघुप्रसाद	निरीक्षक	थाना प्रभारी किशनगंज	273679	9425842020	
–''–	श्री मानसिंह टेकाम	–''–	थाना प्रभारी बढगोंदा	267279	93006 81140	डोंगर गांव स्थित आवास
लोक सूचना अधिकारी	**श्री सी0पी0 सिंह**	**एसडीओपी महू**	**महू**	**273680**	**9479993382 9329867781**	
अपीलीय अधिकारी	**श्री मकरन्द देउस्कर**	**पुलिस अधीक्षक पूर्व इन्दौर**	**–''–**	**2491397**	**9425087494**	**ई – 2/1, नर्मदानगर स्कीम नंबर 78 विजयनगर**
सहा. लोक सूचना अधिकारी	श्री जे डी भोसले	निरीक्षक	थाना प्रभारी देपालपुर	220228	94254 69668	थाना परिसर देपालपुर
–''–	श्री एस एस परमार	–''–	थाना प्रभारी बेटमा	2260234	99265 59137	थाना बेटमा परिसर
–''–	श्री अजीत कुमार पटेल	–''–	थाना प्रभारी गौतमपुरा	230228	94250 86166	थाना गौतमपुरा परिसर
लोक सूचना अधिकारी	**श्री दिलीप भण्ड़ारी**	**एसडीओपी देपालपुर**	**देपालपुर**	**220181**	**94253 22333 9479993384**	
अपीलीय अधिकारी	**श्री मकरन्द देउस्कर**	**पुलिस अधीक्षक पूर्व इन्दौर**	**–''–**	**2491397**	**9425087494**	**ई – 2/1, नर्मदानगर स्कीम नंबर 78 विजयनगर**
सहा. लोक सूचना अधिकारी	श्री धर्मवीर भगोरिया	उप निरीक्षक	थाना प्रभारी खुडेल	2865264	9479993663 9977222551	
–''–	श्री सी एस चडार	–''–	थाना प्रभारी सिमरोल	246236	94259 59379	थाना सिमरोल परिसर
लोक सूचना अधिकारी	**श्रीमती मंजूलता खत्री**	**उप पुलिस अधीक्षक ग्रामीण**	**रानी सराय परिसर**	**2513344**	**9425314445**	
अपीलीय अधिकारी	**श्री मकरन्द देउस्कर**	**पुलिस अधीक्षक पूर्व इन्दौर**	**–''–**	**2491397**	**9425087494**	**ई – 2/1, नर्मदानगर स्कीम नंबर 78 विजयनगर**

सहा. लोक सूचना अधिकारी	श्रीमति शशि कैथवास	निरीक्षक	थाना प्रभारी महिला थाना	2547929	94253 51109	महिला थाना परिसर
लोक सूचना अधिकारी	**श्री राजेश रघुवंशी**	**नगर पुलिस अधीक्षक**	**कोतवाली**	**2544100**	**9415310830 9479993370**	
अपीलीय अधिकारी	**श्री मकरन्द देउस्कर**	**पुलिस अधीक्षक पूर्व इन्दौर**	**—''—**	**2491397**	**9425087494**	**ई – 2/1, नर्मदानगर स्कीम नंबर 78 विजयनगर**
सहा. लोक सूचना अधिकारी	श्रीमती के0के0 शर्मा	पुलिस उप अधीक्षक अजाक	पुलिस उप अधीक्षक अजाक	2524100	9479993614 9827013684	
लोक सूचना अधिकारी	**इंदुप्रकाश अरजरिया**	**अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अजाक**	**पुलिस अधीक्षक अजाक कार्यालय**	**2524100**	**94259 22993**	**अजाक थाना परिसर**
अपीलीय अधिकारी	**श्री मकरन्द देउस्कर**	**पुलिस अधीक्षक पूर्व इन्दौर**	**—''—**	**2491397**	**9425087494**	**ई – 2/1, नर्मदानगर स्कीम नंबर 78 विजयनगर**
सहा. लोक सूचना अधिकारी						
लोक सूचना अधिकारी	**श्री प्रदीप सिंह चौहान**	**उप पुलिस अधीक्षक यातायात पूर्व**	**उपुअ यातायात पूर्व**		**9479993378 9826054004**	
अपीलीय अधिकारी	**श्री मकरन्द देउस्कर**	**पुलिस अधीक्षक पूर्व इन्दौर**	**—''—**	**2491397**	**9425087494**	**ई – 2/1, नर्मदानगर स्कीम नंबर 78 विजयनगर**
सहा. लोक सूचना अधिकारी	श्री हिरवंश कन्हौआ	निरीक्षक	थाना प्रभारी यातायात पश्चिम	4001632		
लोक सूचना अधिकारी	**श्री संजय सिंह**	**उप पुलिस अधीक्षक यातायात पश्चिम**		**2542572**	**99263 31002**	
अपीलीय अधिकारी	**श्री मकरन्द देउस्कर**	**पुलिस अधीक्षक पूर्व इन्दौर**	**—''—**	**2491397**	**9425087494**	**ई – 2/1, नर्मदानगर स्कीम नंबर 78 विजयनगर**

अध्याय–9(मैन्युअल–8)

निर्णय लेने की प्रक्रिया

पुलिस विभाग की जिलास्तरीय कार्यवाही में आवश्यक निर्णय लेने हेतु अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया मुख्यतः विभाग की कार्यवाही से संबंधित वैद्यानिक प्रावधानों विभागीय दिशा निर्देशों तथा विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर ही निर्धारित होती है क्योंकि पुलिस की अधिकांश कार्यवाही एवं निर्णय प्रक्रिया अधिकांशतः परोक्ष अपरोक्ष रूप से जनमहत्व के लोक महत्व के जनहित के एवं कानून व्यवस्था सुरक्षा संबंधी बिन्दुओं एवं अपराधिक घटनाओं एवं अपराधियों से संबंधित होती है। इसके अतिरिक्त विभागीय प्रशासकीय अनुशासनात्मक कार्यवाही विभागीय दिशा निर्देशों एवं सेवा संबंधी नियमों/विनियमों के प्रकाश में संचालित होती है तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में विषय वस्तु अनुसार थाना इकाई व संबंधित शाखा इकाई का भी समावेश होना संभव है एवं विषयवस्तु अनुसार ही निर्णय से संबंधित क्षेत्र अथवा क्षेत्राधिकार से संबंधित अधिकारी की संस्तुति आम तौर पर प्राप्त की जाती है एवं अन्तिम निर्णय लेने हेतु विषय वस्तु अनुसार संबंधित राजपत्रित अधिकारी अथवा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक व्दारा जिला स्तरीय निर्णय से संबंधित बिन्दुओं का निराकरण किया जाता है।

क0स0	1
विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है।)	वैद्यानिक, स्थापना संबंधी, विभागीय अनुशासनात्मक, अनुज्ञा संबंधी विभिन्न प्रकार की जॉच, सत्यापन संबंधी निर्णय लिये जाते हैं।
दिशा निर्देश (यदि हो तों)	विषय वस्तु अनुसार संबंधित वैद्यानिक प्रावधान एवं प्रशासकीय विभागीय नियम सिविल सेवा आचरण नियम मध्य प्रदेश पुलिस रेग्यूलेशन एवं समय समय पर जारी विभागीय परिपत्रों आदि निर्देशों के प्रकाश में
निर्णय लेने की प्रक्रिया	विधि अनुसार एवं प्रचलित नियमों अनुसार प्रतिपादित सामान्य प्रक्रिया एवं विषयवस्तु अनुसार व उससे संबंधित परिस्थिति अनुसार
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	विषय वस्तु अनुसार तत्संबंधी प्राधिकृत अधिकतर नामजद अधिकारी
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों को सम्पर्क सूचना	कार्यालय के माध्यम से एवं अन्य उचित माध्यम व्दारा
निर्णय के विरूद्ध कहां और कैसे अपील करें।	सामान्यतः निर्णयकर्ता अधिकारी से वरिष्ठ पंक्ति के अधिकारी के समक्ष अथवा विषय वस्तु अनुसार राज्य शासन अथवा संबंधित सक्षम न्यायालय के समक्ष

अध्याय–10 (मैन्युअल–9)

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

जिला पुलिस बल इन्दौर										
	पुलिस अधीक्षक	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	पुलिस उप अधीक्षक	निरीक्षक	सूबेदार	उप निरीक्षक	सहायक उप निरीक्षक	प्रधान आरक्षक	आरक्षक	
स्वीकृत	1	3	14	02	05	171	238	693	2563	
उपलब्ध	1	3	13	39	02	96	185	635	2667	
रिक्त	0	0	1	3	3	77	53	58	96	

नोट :–इकाई में पदस्थ समस्त अधिकारियों कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी कार्यालय की स्थापना शाखा में उपलब्ध है ।

अध्याय–11 (मैन्युअल–10)

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्वति

जिला पुलिस बल इन्दौर के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी की कुल प्राप्तियां एवं मुआवजा से संबंधित अन्य प्राप्तियों की जानकारी कार्यालय स्थित वेतन शाखा में सॉफट एवं हार्ड कापी में उपलब्ध है जिनकी जानकारी कार्यालयीन समय पर प्राप्त की जा सकती है। विभाग में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्य प्रदेश वित्त संहिता एवं म0प्र0 कोषालय नियमावली के अनुसार बैंक व्दारा भुगतान प्राप्त होता है। वेतनमान निम्नानुसार है :–

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान
1.	पुलिस अधीक्षक	15600-39100-7600
2.	अति0पुलिस अधीक्षक	15600-39100-7600
3.	उप पुलिस अधीक्षक	15600-39100-5400
4.	निरीक्षक	9300-34800-4200
5.	सूबेदार	9300-34800-4200
6.	उप निरीक्षक	9300-34800-4200
7.	सहायक उप निरीक्षक	5200-20200-2400
8.	प्रधान आरक्षक	5200-20200-2100
9.	आरक्षक/	5200-20200-1900
10.	सूबेदार (अ)	5200-20200-2400
11.	उप निरीक्षक (अ)	5200-20200-2100
12.	सहायक उप निरीक्षक (अ)	5200-20200-1900

अध्याय–12 (मैन्युअल–11)

प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

(सभी योजनाओं व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)

अध्याय–13 (मैन्युअल–12)

अनुदान/राज सहायता कार्यकमों के कियान्वन की रीति

पुलिस विभाग व्दारा अनुदान/राज सहायता प्रदान नहीं की जाती है।

अध्याय–14 (मैन्युअल–13)

रियायतों अनुज्ञा पत्रों तथा प्रधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सवंध में विवरण

पुलिस विभाग द्वारा जिला स्तर पर मूल रूप से कोई लाइसेंस परमिट न तो जारी किये जाते हैं और न ही मूल रूप से इस हेतु कोई आवेदन प्राप्त किये जाते हैं। परन्तु आर्म्स लाइसेंस तथा पासपोर्ट जारी करने वाले सवंधित विभागों की ओर से पद सवंधी आवेदन पत्र जिला पुलिस की ओर मध्यवर्ती जांच प्रक्रिया हेतु भिजवाये जाते हैं जिस पर सवंधित आवेदन पत्रों की निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच की जाकर जांच प्रतिवेदन सहित सवंधित विभाग को उक्त आवेदन निर्णय सवंधी आवश्यक कार्यवाही हेतु वापिस लौटा दिये जाते हैं। आर्म्स लाइसेंस प्राप्तकर्ताओं की मूल सूची अथवा रजिस्टर कलेक्टर कार्यालय में मूलतः उपलब्ध रहती है।

इसी प्रकार विभिन्न विभागों में भर्ती/सेवा सवंधी आवेदकों के आवेदन आदि सवंधित विभाग से चरित्र सत्यापन हेतु पुलिस को प्राप्त होते हैं जो चरित्र सत्यापन संबंधी आवश्यक कार्यवाही कर टीप दर्ज करने के पश्चात सवंधित भ्भिाग की ओर वापिस लौटा दिये जाते हैं।

अध्याय–15 (मैन्युअल–14)

कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम

पुलिस विभाग की जिला स्तर की कार्यवाही व कार्यकलाप के सम्पादन हेतु सामान्यतः भारत के संविधान, प्रचलित विधि, नियम, रेग्यूलेशन, विभागीय परिपत्रों, आदेशों में वर्णित दिशा निर्देश ही विषय वस्तु अनुसार एवं तत्सवंधी विशिष्ट परिस्थितियों अनुसार लागू किये जाते हैं।

अध्याय–16 (मैन्युअल–15)

इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनायें

मध्यप्रदेश पुलिस विभाग द्वारा विभाग की वेबसाइट पर विभाग से सवंधित सामान्य जानकारी विशेषतः सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रकाश में इलैक्ट्रॉनिक फारमेट पर उपलब्ध कराई गई है जिसका अवलोकन विभाग की वेबसाइट पर किया जा सकता है एवं इस सूचना पुस्तिका के माध्यम से जिला स्तरीय सामान्य जानकारी भी पृथक से उपलब्ध कराई जा रही है।

अध्याय–17 (मैन्युअल–16)

सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

जनसाधारण हेतु आवश्यक और महत्वपुर्ण सूचनाओं को विभिन्न समाचार पत्रों में, गजट में समय–समय पर प्रकाशित करा कर आवश्यकतानुसार जन घोषणा के माध्यम से अथवा इलैक्ट्रोनिक मीडिया पर प्रसारित कराया जाता है तथा विभाग की वेबसाइट पर विभाग सवंधी सामान्य जानकारी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जिले में प्राधिकृत सहायक लोक सूचना अधिकारी गण से उनके सवंधित क्षेत्राधिकार से सवंधित विभागीय सूचनायें सवंधित अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार एवं निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राप्त की जा सकती हैं। साथ ही पुलिस विभाग से सवंधित जिला स्तरीय सामान्य जानकारी इस सूचना पुस्तिका के माध्यम से भी पृथक से उपलब्ध करायी जा रही है।

अध्याय–18 (मैन्युअल–17)
अन्य उपयोगी जानकारियां

सूचना प्राप्त करने सवंधी आवेदन पत्र, शुल्क व सवंधित जानकारी सहायक लोक सूचना अधिकारी गण के कार्यालय में उपलब्ध है। जनसाधारण से सवधित अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक प्रशिक्षण आयोजित किये जाने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है।

अन्य उपयोगी जानकारियां सवंधी परिशिष्ट

1. नागरिक अधिकार ''**परिशिष्ट–1''** पर संलग्न है।
2. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के अधिकार **''परिशिष्ट–2''** पर संलग्न है।
3. कम्युनिटी पुलिसिंग संबंधी जानकारी **''परिशिष्ट–3''** पर संलग्न है।
4. नगर सुरक्षा समिति एवं ग्राम रक्षा समिति संबंधी जानकारी **''परिशिष्ट–4''** पर संलग्न है।
5. जनता यदि पुलिस को बेबसाइट पर कोई सूचना देना चाहे तो तत्सम्बन्धी फार्म **''परिशिष्ट–5''** पर संलग्न है।

नोट :–

परिशिष्ट अ तथा परिशिष्ट कमांक 1,2,3,4 एवं 5 पर संलग्न की गयी जानकारी मूलतः पुलिस मुख्यालय भोपाल व्दारा जारी की गयी जानकारी की प्रतिलिपि

Citizen's Rights

- **Article 21** of the Constitution provides that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. Every person has the right to live with human dignity which include guarantee against torture and assault.
- **Article 20(3)** of the Indian Constitution gives the individual protection against self incrimination
- Right to be informed of the grounds of arrest (Section 50, Section 55 and Section 75 of the Cr.P.C. & Supreme Court Judgement in Writ Petition (Crl) No. 539 of 1986 D.K. Basu Vs State of West Bengal)
- Right not to be subjected to unnecessary restraint (Section 49 of Cr.P.C.)
- Right against arbitrary or illegal detention in custody (Section 56, Section 57 and Section 76 of Cr.P.C.)
- Right to be released on bail if arrested (Section 436, Section 43, Section 50(2) and Section 167 of Cr.P.C.)
- Right to obtain receipt when property is seized (Section 100(6) and Section(7) of the Cr.P.C.)
- Right not to be detained for more than 24 hrs after arrest without judicial scrutiny (Section 57 of Cr.P.C.)
- Right to medical examination at his behest to disprove the commission of an offence by him or to establish commission of an offence against his body by others (Section 54 of the Cr.P.C.)
- Right to a fair and speedy investigation (Section 309 CRPC).
- Right to legal aid at the expense of the State in certain cases (Section 304 of the Code)
- Any person when arrested has the right to inform his friend/relative of his arrest or detention (Supreme Court Judgement in Writ Petition (Crl) No.539 of 1986 D.K. Basu Vs State of West Bengal)
- Any person arrested/detained without reasonable grounds has the right to take shelter of the Court U/S 220 IPC
- Nothing is an offence which is done in the exercise of the right of private defence (Section 96 of IPC).

Rights of a Person Arrested

Constitutional Rights
Special Rights for Women and Children

The police personnel carrying out the arrest and handling the interrogation of the arrestee should wear accurate, visible and clear identification and name tags with their designations. The particulars of all such police personnel who handle interrogation of the arrestee must be recorded in a register.

- That the police officer carrying out the arrest of the arrestee shall prepare a memo of arrest at the time of arrest and such memo shall be attested by at least one witness, who may either be a member of the family of the arrestee or a respectable person of the locality from where the arrest is made. It shall also be countersigned by the arrestee and shall contain the time and date of arrest
- A person who has been arrested or detained and is being held in custody in a police station or interrogation centre or other lock-up, shall be entitled to have one friend or relative or other person known to him or having interest in his welfare being informed, as soon as practicable, that he has been arrested and is being detained at the particular place, unless the attesting witness of the memo of arrest is himself such a friend or a relative of the arrestee
- The time, place of arrest and venue of custody of an arrestee must be notified by the police where the next friend or relative of the arrestee lives outside the district or town through the Legal Aid Organisation in the District and the police station of the area concerned telegraphically within a period of 8 to 12 hours after the arrest
- The person arrested must be made aware of this right to have some one informed of his arrest or detention as soon as he is put under arrest or is detention
- An entry must be made in the diary at the place of detention regarding the arrest of the person which shall also disclose the name of the next friend of the person who has been informed of the arrest and the names and particulars of the police officials in whose custody the arrestee is
- The arrestee should, where he so requests, be also examined at the time of his arrest and major and minor injuries, if any present on his/her body, must be recorded at that time. The “Inspection Memo” must be singed both by the arrestee and the police officer effecting the arrest and its copy provided to the arrestee
- The arrestee should be subjected to medical examination by a trained doctor every 48 hours during his detention in custody by a doctor on the panel of approved doctors appointed by Director, Health Services of the State or Union Territory concerned. Director, Health Services should prepare such a panel for all tehsils and districts as well
- Copies of all the documents including the memo of arrest, referred to above, should be sent to Illaqa Magistrate for his record
- The arrestee may be permitted to meet his lawyer during interrogation, though not throughout the interrogation
- A police control room should be provided at all district and State headquarters, where information regarding the arrest and the place of custody of the arrestee shall be communicated by the officer causing the arrest, within 12 hours of effecting the arrest and at the police control room it should be displayed on a conspicuous notice board.

Community Policing

Definition

Community Policing is understood as Policing with the help of Community.
Community Policing is a collaborative effort between Police and Community to identify problems of crime, disorder and involves all elements of the community in the search for solutions to these problems. This concept brings the police and community into a closer working relationship and calls for greater responsibility on citizens.
We all are aware that Policing includes the following:

- Maintenance of order and peace,
- Security, safety of the people and property.
- Ensure effective enforcement of law.
- Detection of crimes
- Orderly flow of traffic in urban areas and in highways and lot more.

Thus discussing the objective of Police in relevance to community reveals to concept of community policing which ideally is:

- Policing, as far as possible and practicable, by the community itself which means that any or all the functions mentioned above may be performed by the community to the extent they can and the remaining functions to be performed by the police with the assistance and involvement of the community to the maximum extent possible.
- The concept of Community Policing started from village Kotwal. Where a person from the community performs the functions of the police in the village. Gradually and unfortunately the concept of Village Kotwal had been undergoing changes where its community character seems to be dwindling. Home-guards were another form of community policing. Even this has now become more a part of police force than of the community.
- Civil defense / emergency relief plan developed primarily on involvements and participation of the people in performing the safety, security, relief, and crisis management functions of the police during emergency. But now the idea needs a broader vision, more and regular involvement of Citizens and Police itself.

Few examples of Community Policing are :

- Informal arrangements of night watchman, patrolling an area and obtaining remuneration from the house-holds of the area, is another form of community policing at the initiative of the watch-man but with the willing acceptance of the neighborhood.
- Security arrangements in housing complexes and housing societies, security arrangements in factories and large establishments are another form of community policing.
- Institutions like Peace committees activated during period when there is serious apprehension / threat of break down of law and order.
- Civil defense plans / emergency relief plans during riots or wide spread break-down of law and order.
- The concepts of rural policing by community (Kotwal),
- Trained people in the community to perform the functions of the police when required (home-guards)
- Identified Sector Wardens, Chief wardens etc (under civil defense / emergency relief plan),
- Special police officers, Honorary Magistrates and involvement of people in trail of offences

Few Schemes for Community Policing are :

- Neighborhood watch scheme.
- Senior citizens' scheme.
- Self defense camp for girls.
- Special police offers for every neighborhood in the in the urban areas.
- Crime stopper scheme aimed to encourage members of the public to play a part in detecting crime by giving information.

- Management by one or close involvement of police in.
    - De-addiction centers for drug addicts and alcoholics.
    - Juvenile aid camps.
    - Orphanage.
    - Shelter homes for run away children.
    - Senior citizen's home.

Thus, citizens can form groups within the society or the area they live or work. Such social group can enroll themselves with the Police and work hand in hand with Police to solve problems, minimize disorders in the society and thus achieve the very objective of Community Policing.

Evolution

The evolution of police in India over the years, has been guided by the compulsions and needs of the dominant ruling class, may it be a Maurya or Gupta king, a Moghul Monarch, the British running a colonial system to achieve their ends of occupation or even, sadly, so, in our present day democratic arrangement. We must well understand that the Police have been the principle medium through which the dominant classes have sought to perpetuate their hold on power and authority by means fair or foul. Thus, making the Police an instrument of oppression and giving it the image of a rough and ready ruler friendly organization rather than that of an agency, which is impartial and neutral and which objectively enforces the rule of law.
Ironically, in our country's post independent history too any move to change the basic framework, which even remotely lead to the lessening of control over the Police has been resisted wholeheartedly by the powers that be. In over half a century of independence many commissions were set up and recommendations received without much having been done to let the Police come out its negative image.
In any free society all organs of governance or private enterprises feel a compelling need to contribute positively to the growth and progress of the country. If this is true than how can those who join the police continued to be identified as a grossly negative force of oppression? All of us have the want and desire to contribute positively.
Even today Police continue to be inextricably enmeshed in and unable to come to terms with contemporary social reality and increasingly becoming alien and painfully irrelevant in the current Indian situation. Can a rapidly changing society swearing by democratic principles afford to live in perpetual conflict with its primary law enforcement agency?
The crying need to move from a negative to positive image is always present in our minds. The society too -- informally - wants this most manifest arms of governance to become more people friendly and compassionate - like the British "Bobby" - may be. Having known the Police only as a repressive corrupt and aggressive agency, the society had to be the first got involved in the processes, which the Police executed. It was also felt that such efforts would essentially and actively have to come from the Police itself.
This was the guiding force for us in Madhya Pradesh to launch ourselves into the entire gamut of Police - Community relations. Though informally efforts in this direction had been made at different levels earlier but a concerted deliberate and formal effort was launched in 1995 at Indore. These initiatives were also emulated by other districts and are getting accepted as an effective mode of improving Police - Community Relations.

Initiatives and History

Initiatives in Past

The concept of village Defense Society involving people in Community policing was first introduced in 1956 in M.P. in the docity infested area with the express purpose of enlisting the corporation of the villages in the fight against the dreaded dacoits. At the out set such defense societies were first established in Gwalior, Bhind and Morena districts. Subsequently this was extended to Shivpuri, Datia, Guna, Rewa, and Sagar districts as well.

Madhya Pradesh Government, appointed one Chief Organizer, 17 Tehsil Organizer, along with supporting staff for the purpose. These societies creative work proved very useful to the Police Department over the year. In the 90s the government was again seized of the matter and as a result the "Madhya Pradesh Gram Tatha Nagar Raksha Samiti Vidheyak 1999" was enacted in the legislature. It sought to establish the village defense societies as well as the City defense societies in the establish the village defense societies as well as the City defense societies in the remaining parts of the State also.
Superintendent of Police of the districts are primarily responsible for the constitution and smooth functioning of these Gram Raksha and Nagar Raksha Samities.The task of constituting these societies got a major fill following the passage of the Bill. The number of such societies spread over the 41 districts of the State and the total number of members of society is as follows:

S. No.	Society	No. of Societies	No. of Members
1	Village Defence Society	33,804	3,17,140
2	City Defence Society	3, 896	46,014
	Total	**37,770**	**3,63,154**

These societies have the primary responsibility in their respective villages of protection of people and their property as well as maintenance of peace and harmony. Since the villagers who become the members of the societies are ignorant of their duties as well as the methods they are supposed to employ in carrying out these duties, efforts are a foot to organize training camps for them. Proposals have been sent to the Government for allocation of funds to meet the requirement of such training camps. A six day training schedule is considered useful which will entail an expenditure of nearly of Rs. 30 crores. To begin with the Naxalite infested districts of Balaghat, Mandla and Dindori have been earmarked for such training at an estimated cost of Rs. 1.2 crores in the first phase.
The State Government is also considering a proposal to arm the members of the societies so as to enable the members to discharge their duties in a determined manner. The members would be entitled to use weapons as long as their membership lasts. In the meantime the district police authorities have been advised to help the eligible and willing members obtain valid arms licences.
Efforts are being made to form such Gram Raksha Samities in every village of the state and impart training to the members. Meetings at various level are also being organized to sensitize the members towards the role they are expected to play in maintenance of Law and Order in their respective juridiction.
For six days training camp the following statistics and expenses are proposed for members of the committee::

In accordance of 6 days training, for a total of 10803 members in Balaghat, Mandla and Dindori District a training proposal is designed, which costs around 1, 01, 48, 600 /-, and is under consideration in Police Department.

To avail the weapons for the members of committee an amendment in the Vidheyak is required, although they can keep weapons with them during the period of their membership. Proposal is also made to purchase weapons by members, which are captured by police, if members have a arms act license.

Before passing of “Madhya Pradesh Village and City Community Policing *Vidheyak* 1999”, in 1956, the ranked officer, governing officers which are authenticated by Government in Gwalior, Chambal, Sagar and Rewa Districts are proposed to incorporate as a unit in Police Department.

On every police station level, attempts are made to cent-percent establish the Village Protection Committee. Efforts are also made to give a training on police station level to all members. Summits are also organized in districts for activation of the Mission. Expectations are there from the government to pay some money to

members and providing them with weapons license and budget allocation for training and make appropriate changes in the *Vidheyak* for this purpose.

Advisory Committee at the District Level

- There will be an advisory committee to assist and advise the Superintendent of Police.
- All important sections of the Society may find representations in the committee.
- Women and deprived communities should have proportionate representation.
- Representation of the 3 tier panchayat and urban bodies in the district may also be included.
- Good voluntary agencies engaged in the areas of assertion of human rights, women development, SC and ST development may also be associated.
- The advisory committee should meet once in a month.
- It may suggest -:
    - Steps for community involvement in police functions.
    - Assist in implementing such suggested measures.
    - Monitor implementations of these measures.
    - Assist in redressal in people's grievances.
    - Review the law and order situation in the district.
    - Review the progress in investigation, detection of crimes and the pace in the prosecution.

Community Policing Schems in M.P.

The initiative undertaken by the Police in Madhya Pradesh are as follows:

Parivar Paramarsh Kendra (Family Counseling Centers)

Launched on 10th October 1995

Aimed at alleviating the suffering of women in the family setup in our society. This effort has positively galvanized the functioning of the Police department hitherto not known to or associated with positive humanitarian endeavor. In Indore 9 centers are working to save the families from disintegrating. These centers are run by the active support and cooperation of volunteers from society, these include social workers, lawyers, medical professional's etc. Out of the 2909 complains received at these centers 2364 have resulted in settlement after counseling, a success rate of 81.26%. In cases where legal aid was required female lawyers associated with this effort provide this aid free.

Nagar Suraksha Samiti (Town Defense Committee)

Launched in January 1996

Originally aimed at creating a group of right thinking citizens without any criminal record or known political affiliations, this effort has acquired dimensions, which were not originally thought of. Apart from assisting the police in doing its normal duties like managing major processions, generating awareness about police working, assisting in management of traffic. These centers have proceeded beyond the original charter and organized social work such as blood donation/grouping/HIV testing, tree plantations, cleanliness drive etc. This has helped in improving Police-Community relations and insured coordination. There is a great enthusiasm amongst the citizens to join the societies.

De-Addiction Camp

Launched in 1995

Although the State Govt. had formally set up a De-addiction Committee in the year 1989.This committee in its real sense started functioning effectively for the last four years, as a part of Police initiatives to organize De-addiction camps. For these camps services of three government doctors and one private practitioner were hired. Each camp was of 45 days duration. Initially Detoxification was done for the first two weeks and thereafter for one month duration the edicts of Brown Sugar were treated through psychological and psychiatrics therapy. Yoga was used as a mode to make these addicts more positive in their mind. The family members, after counseling were requested to behave normally with the patients. These services were rendered free of cost. N.S.S.(National Social Service) volunteers were engaged to follow up the cured addicts. An effort is also being made to provide training and loans where possible, to the cured persons for their rehabilitation. More than 150 persons in Six camps were treated and they are now leading normal life.

Gram Suraksha Samiti (Village Defense Committee)

28875 member are working in a total 3525 Village Defense Committees. Patrolling local law and order maintenance during festivals and various other works of village improvement are being carried out through these members. Apart from the above Police has also carried out work of adult education and literacy expansion through these Committees.

For example, Road construction / repair work in Shajapur District was done through voluntary labor contribution. 320 villages in 16 police stations areas connected with main roads. Work of road leveling, repair of drainage systems and reconstruction of damaged roads was carried out through voluntary labor contribution of Police and village defense committees.

Mobile Police Thana

Launched in October 1996
This is a novel initiative towards providing social justice to villagers. Under this initiative officers of police station camp at a fixed place, date and time. Officers of revenue and forest department are also requested to be present depending on the need. These meetings are held to dispose off the minor incidents or problems of the village. 353 villages have benefited by this scheme.

Bal Mitra Scheme

Launched in October 1997
Under this scheme, school students of different age group are brought to Police Stations to acquaint them with the working of the Police station and give them the opportunity to interact with Police Officers. This is done with the help of the school administration. Besides the opportunity to exchange views with Policemen, this effort helps allay the fear of about the Police from the minds of these children. Thus their negative views and fears about the Police change favorably.

Community Policing Centers

The first such center was started in the crime prone and sensitive areas of Indore called 'Rustam Ka Baqicha'. Under this scheme police personnel's make contacts with the local residents by door visit and successfully solved the problems of the people. This led to a considerable decrease in the crime about 25% especially on the front of Alcohol and women exploitation and other minor offense. This experiment is based on the famous 'KOBAN" technique of Japan. At present there are 3 months community policing centers working successfully in Indore.

Medical Relief to injured persons

In coordination with the Trauma Management Center of the Health Department the Police started this effort to provide immediate relief to the injured in any accident within the Golden Hour 12 Nursing homes were voluntarily involved keeping in view the suitability of their location. Each nursing home dedicated one ambulance to this effort. Coordination was done through the Police Control Room. The ambulance was fully equipped and also had trained emergency medical technicians including Police on reviewing information about the injured/accident. The ambulance rushes to the spot of accidents, provide first aid to the injured and brings the injured to concerned nursing home.
After being declared out of danger an option is given to the patient to continue treatment at the same nursing home or to leave it and get treated in another hospital of his choice. Action is taken to reach him to the hospital concerned accordingly for further treatment. During this process, no cost for treatment is charged from the patient. But if the patient shows interest to continue his treatment in the same hospital, then the cost of treatment is charged. Over 180 cases have been handled by this effort.

Police help for the Visually impaired

Launched in January 1996
For the over-all developments of visually impaired students, the Police have made available to the school for visually impaired, "Audio Cassettes" which covers all - important topics of the syllabus. The visually impaired students have by and large appreciated this valuable gift from the police.
A "Writers Bank for visually impaired" also called the "Talking Book" was set up. This is the first bank of its type in India, which provides writers for the examinations to the visually impaired students as per regulations prescribed by the controlling body off school/college. 300 visually impaired students are being provided writers for their examinations. For the proper use of the calculator for the visually impaired called ABACUS, the first audiocassette of India is under preparation, which would make the use of ABACUS simpler and more effective.

परिशिष्ट–5

जनता यदि पुलिस को बेबसाईट व्दारा कोई सूचना देना चाहे तो तत्संबंधी फार्म

Information to Police

बैववेम जीम जलचम व िपदवितउंजपवद लवन ूंदज जव हपअमरू

General Information ▾

क्पेजतपबज	Select from List ▾
ब्पजल	Select from List ▾ Select from List ▾
कंजम व िवबबनतंदबम	- ▾ - ▾ - ▾
ज्पउम व िवबबनतंदबम ;वचजपवदंसद्ध	- ▾ - ▾ AM ▾
ैनइरमबज `	
डमेंहम `	

प्दवितउमतश्े प्दवितउंजपवदरू

थ्पतेज छंउम	
स्ंेज छंउम	
म्.उंपस पक	
ब्वदजंबज छवण्	
।ककतमे	

Cancel

<u>कार्यालय पुलिस अधीक्षक,जिला–इन्दौर,मध्य प्रदेश</u>

क्रमांक–पु0अ0/इन्दौर/जिविशा/ /2005 दिनांक :–

प्रति,

पुलिस महानिदेशक,
<u>मध्य प्रदेश भोपाल।</u>

विषय :– सूचना के अधिकार 2005 से संबंधित टेम्पलेट (सूचना पुस्तिका) तैयार करने बाबत्।

सन्दर्भ :– आपका पत्र क्रमांक–पुमु/विविध/12/151/05 दिनांक 6–10–05

———

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के संबंध में निवेदन है कि सूचना के अधिकार 2005 से संबंधित टेम्पलेट (सूचना पुस्तिका) तैयार कराई जाकर जिला के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को पालन करने हेतु आवंटित की गयी है उक्त सूचना पुस्तिका कृपया अवलोकनार्थ सादर अग्रेषित है।

संलग्न :– सी0डी0

पुलिस अधीक्षक,
जिला–इन्दौर।

प्रतिलिपि :–

1. पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर झोन, इन्दौर
2. पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर रेन्ज, इन्दौर
3. समस्त राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारी जिला इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

पुलिस अधीक्षक,
जिला–इन्दौर।